जयसिंह V/S हरिसिंह 119/2019

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
13-8-20	वकील वादी उप० साक्ष्य वादी में शपथ पत्र गवाह जयसिंह, रवीना के पेश हुए है। जिनपर बयानात [illegible] किये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेशगी नहीं चाहते है। साक्ष्य वादी बंद की जाती है। मिसल चालि बहस नियत की जाती है। बहस वकलाम के निवेदन पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते प्रदिरा निर्णय 17/9/20 को पेश हो।	जयसिंह रवीना [illegible]
17/9/20	वकलाम उप० वकील वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। मिसल दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	[signature]

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादी – राजस्व वाद संख्या :– 119/2019

जयसिंह पुत्र रूपसिंह
जाति–राजपूत निवासी खानपूर मांजरा तहसील डेगाना जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. हरिसिंह पुत्र रूघनाथसिंह
2. रूपसिंह पुत्र हरिसिंह
3. बिजेसकवंर पुत्री रूपसिंह
   जाति –राजपूत निवासीगण–खानुपर–मांजरा, तहसील–जायल (नागौर)
4. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादी की ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री इस्लामुदीन काजी
प्रतिवादी संख्या 4 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 17/09/2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एक परिवार के सदस्य है। वादी प्रतिवादी संख्या 2 का पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का पोत्र है, प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पुश्तैनी बडेर के खेत खसरा नं. 66, 107, 113, 135, 160, 161 के रूप में मौजा खानपूर मांजरा तहसील जायल मे स्थित है। परन्तु कर्ता खानदान होने से उक्त खेतायों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आ गई। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आपसी रजामंदी से वाद के पेरा संख्या 5 (1 से 3) अनुसार बंटवारा कर काबिज काश्त हो गये है। परतु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काजी ने वकालात नामा व ईकबालिया जवाब दावा पेश किया। इसी प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का इकबालिया जवाब तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में शपथ पत्र गवाह जयसिंह पुत्र रूपसिंह राकेश पुत्र भीयाराम के प्रस्तुत किये गये जिस पर गवाह के बयान कलमबद्ध किये गये। जो शामिल पत्रावली है। दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम खानपूर मांजरा तहसील जायल संवत् [illegible]0–2073 खाता संख्या 120/104 खसरा नं. खसरा नं. 66, 107, 113, 135, 160, 161, प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2026–2039 खाता संख्या 11 प्रदर्श–2 की पेश की। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1, से 3 द्वारा पत्रावली में इकबालिया जवाब में वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 2 ,3 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वाद में संयाजित है, चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पैरा संख्या 5 के अनुसार खातेदारी घोषणा एवं बंटवारा चाहा है। दोनो गवाहान द्वारा किये गये बयान से भी यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् द्वारा वाद में बताये अनुसार मौखिक विभाजन हो रखा है तथा उसी के अनुसार कब्जे काश्त है, जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की सम्पुष्टि होती है। चूंकि वाद में बताई गई स्कीम बंटवाड़ा में प्रतिवादीगण संख्या 3 का कोई बंट नही रखा है जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से की भूमि बिना हकतर्क कराये राजस्व रिकॉर्ड रिकॉर्ड में अमल दरामद कराना चाहते है। फलतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये वाद वादी न्यायिक दृष्टिकोण से आंशिक तौर पर स्वीकार जाकर डिक्री किया जाना न्यायालय मत में उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

– : : आदेश : –

[illegible]यत् वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 * आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर ग्राम खानपूर मांजरा तहसील जायल के खसरा नं. 66, 107, 113 135, 160, 161 की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सह खातेदारी में घोषित की जाती है तथा वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 119 / 2019
जयसिंह बनाम हरिसिंह वगैरह

1. वादी जयसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खानपूर मांजरा तहसील जायल के खसरा नं. 66 रकबा 7.08 बीघा, खसरा नं. 135 रकबा 2 बीघा घोषित की जाती है।
2. प्रतिवादी सं. 1 हरिसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खानपूर मांजरा तहसील जायल के खसरा नं. 160 रकबा 5.08 बीघा, खसरा नं. 161 रकबा 18.14 बीघा घोषित की जाती है।
3. प्रतिवादी सं. 2 रूपसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खानपूर मांजरा तहसील जायल के खसरा नं. 107 रकबा 22.05 बीघा, खसरा नं. 113 रकबा 9.17 बीघा घोषित की जाती है।
4. तहसीलदार जायल प्रतिवादी संख्या 3 के हक हिस्से की भूमि की नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर तत्पश्चात राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद की कार्यवाही की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार हो। तदनुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

17/09/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर
एस. डी. ओ. जायल (नागौर)

कलेक्टर

निर्णय आज दिनांक 17/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

17/09/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर
एस. डी. ओ. जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 119/2019

वादी –

1. जयसिंह पुत्र रूपसिंह
   जाति–राजपूत निवासी खानपूर मांजरा तहसील डेगाना जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. हरिसिंह पुत्र रूघनाथसिंह
2. रूपसिंह पुत्र हरिसिंह
3. बिजेसकवंर पुत्री रूपसिंह
   जाति–राजपूत निवासीगण–खानुपर–मांजरा, तहसील–जायल (नागौर)
4. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादी की ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री इस्लामुदीन काजी
प्रतिवादी संख्या 4 राजपेरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई हाजरी इस्लामुदीन काजी प्रतिवादी संख्या 1,2 पैरोकार उपस्थित प्रतिावादी सं. 3 मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम खानपूर मांजरा तहसील जायल के खसरा नं. 66, 107, 113 135, 160, 161 की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सह खातेदारी में घोषित की जाती है –

1. वादी जयसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खानपूर मांजरा तहसील जायल के खसरा नं. 66 रकबा 7.08 बीघा, खसरा नं. 135 रकबा 2 बीघा घोषित की जाती है।
2. प्रतिवादी सं. 1 हरिसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खानपूर मांजरा तहसील जायल के खसरा नं. 160 रकबा 5.08 बीघा, खसरा नं. 161 रकबा 18.14 बीघा घोषित की जाती है।

17/09/2020
सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

3. प्रतिवादी सं. 2 रूपसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खानपूर मांजरा तहसील जायल के खसरा नं. 107 रकबा 22.05 बीघा, खसरा नं. 113 रकबा 9.17 बीघा घोषित की जाती है।

4. तहसीलदार जायल प्रतिवादी संख्या 3 के हक हिस्से की भूमि की नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर तत्पश्चात राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद की कार्यवाही की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

17/9/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

ता.ज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/09/2020...... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

17/09/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर
एस. डी. ओ. जायल

Scanned with CamScanner